

अग 12813/II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक 12015 निगरानी

श्री. सुदेश शर्मा, अधिवक्ता
द्वारा आज दि 26-8-15
प्रस्तुत

व
वलापु
26-8-15
राजस्व मण्डल

1. तेजबहादुर गुप्ता पुत्र स्व. सेवक बानी,
 2. अशोक गुप्ता पुत्र स्व.जीवनारायण बानी,
 3. संतोष गुप्ता पुत्र स्व.जीवनारायण बानी,
 4. हरिशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व.जीवनारायण बानी
 5. लोकनाथ पुत्र मुरली बानी,
 6. इन्द्रबहादुर पुत्र सरजो बानी,
 7. रामकिशोर पुत्र सरजो बानी,
 8. गोपीचन्द्र पुत्र सरजो बानी,
- समस्त निवासीगण ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी (सिंहावल), जिला सीधी (म.प्र.)

-- आन्वयेदकगण

बनाम

1. दिलीप पुत्र भगवान बानी,
 2. राघोप्रसाद पुत्र भगवान बानी,
 3. मुस. बसन्ती वैवा भगवान बानी,
 4. रामप्रसाद पुत्र जोखन बानी,
 5. मेहीलाल पुत्र जोखन बानी,
 6. छोटकऊ पुत्र जोखन बानी,
 7. प्रेमलाल पुत्र जोखन बानी,
 8. मुस. राजकुमारी वैवा रामायण गुप्ता
 9. अवनीश उर्फ भैया पुत्र रामायण गुप्ता,
 10. शिवम गुप्ता पुत्र रामायण गुप्ता,
- समस्त निवासीगण ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी (सिंहावल), जिला सीधी (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय आपर कलेक्टर, सीधी, जिला सीधी द्वारा द्वय प्रकरण क्रमांक 208/
निगरानी/2008-09 में पारित अदेश दिनांक 30.06.2015 के विरुद्ध
म0प्र0 न्यायालय सीधी, 11/9/15 के अदेश 53 के अन्तर्गत सुर्देश

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2813-दो/2015

जिला सीधी

तेजबहादुर विरूद्ध दिलीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 208/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. मीन) सदस्य</p> <p>15.3.19</p>